136

संख्या– 103/XXVII(1)/2012

प्रेषक,

आर0सी0 अग्रवाल,
अपर सचिव, वित्त
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, उत्तराखण्ड,
(संलग्न सूची के अनुसार)।

वित्त अनुभाग–1 **देहरादून :: दिनांकः 24 फरवरी, 2012**

विषयः–तृतीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों की प्रत्याशा में समस्त नगर पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2011–12 की चतुर्थ किश्त (चतुर्थ त्रैमास) की अवशेष धनराशि का तदर्थ आधार पर संक्रमण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तृतीय राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड की संस्तुतियों की प्रत्याशा में शासन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार समस्त नगर पंचायतों को चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 की चतुर्थ किश्त (चतुर्थ त्रैमास) की अवशेष धनराशि **₹ 25265000.00 (₹ दो करोड़ बावन लाख पैसठ हजार मात्र)** तदर्थ आधार पर संक्रमित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उपर्युक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संक्रमित की जा रही हैः–

(1) संक्रमित की जा रही धनराशि को कोषागार से आहरित करने के लिये बिल सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जायेगा। संक्रमित की जा रही धनराशि का उपयोग शासनादेश सं0–1674/XXVII/(1)/2006 दिनांक 22 नवम्बर, 2006 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अन्तर्गत किया जायेगा। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

(2) नगर विकास विभाग संक्रमित धनराशि के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा इसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होगे। कोषागार से आहरित धनराशि का बाउचर संख्या तथा दिनांक की सूचना महालेखाकार, उत्तराखण्ड एवं शासन के वित्त विभाग को भेजेंगे।

(3) निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, निकायों को आवंटित धनराशि के समय से उपयोग हेतु उत्तरदायी होंगे।

(4) शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ठ शर्तो का अनुपालन विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज

संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन– आयोजनेत्तर–01–नगरीय स्थानीय निकाय–193–नगरपंचायतें/नोटिफाइड एरिया/कमेटी आदि–03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(आर0सी0 अग्रवाल)
अपर सचिव।

संख्याः– 103/(1)/XXVII(1)/2012 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
2– मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ, उत्तराखण्ड।
3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5– निदेशक, शहरी एवं नगरीय विकास, 43/6, माता मन्दिर मार्ग, धर्मपुर, देहरादून।
6– निदेशक, कोषागार एवं लेखा हकदारी, 23–लक्ष्मी रोड़, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7– समस्त मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
8– विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकरी जैसी भी स्थिति हो।
9– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
10– एन0 आई0सी0 सचिवालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11–वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।

आज्ञा से,

(आर.सी.अग्रवाल)
अपर सचिव।

शासनादेश संख्याः 103/XXVII (i)/2012

दिनांकः 24 फरवरी, 2012 का संलग्नक।

तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों की प्रत्याक्षा में द्वितीय राज्य वित्त आयोग,उत्तराखण्ड द्वारा संस्तुत अनुदान के अनुसार वितीय वर्ष 2011–12 हेतु नगर पंचायतों को तदर्थ रूप देय चतुर्थ किश्त की अवशेष धनराशि का संकमण।

(धनराशि हजार में)

क0 सं0	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	चतुर्थ किश्त की अवशेष धनराशि	स्ट्रीट लाईट के विद्युत देयकों के भुगतान हेतु कुछ अंश की कटौती	चतुर्थ किश्त हेतु अवमुक्त संग्रमण
1	*2*	*3*	*4*	*5*
नगर पंचायत				
1-	बड़कोट	2763.00	622.00	2141.00
2-	नन्दप्रयाग	377.00	85.00	292.00
3-	कर्णप्रयाग	2558.00	575.00	1983.00
4-	गौचर	2162.00	486.00	1676.00
5-	मुनिकीरेती	1398.00	315.00	1083.00
6-	कीर्तिनगर	340.00	77.00	263.00
7-	चम्बा	905.00	95.00	810.00
8-	डोईवाला	800.00	180.00	620.00
9-	हरबर्टपुर	1910.00	430.00	1480.00
10-	कालाढूंगी	552.00	124.00	428.00
11-	भीमताल	806.00	85.00	721.00
12-	लालकुँआ	1046.00	235.00	811.00
13-	दिनेशपुर	1634.00	368.00	1266.00
14-	सुल्तानपुर	706.00	74.00	632.00
15-	केलाखेड़ा	1147.00	120.00	1027.00
16-	,शक्तिगढ़	852.00	192.00	660.00
17-	मुहुआ खेड़ा गंज	652.00	147.00	505.00
18-	महुआडाबरा	830.00	187.00	643.00
19-	द्वाराहाट	1370.00	308.00	1062.00
20-	डीडीहाट	787.00	177.00	610.00
21-	धारचूला	2257.00	508.00	1749.00
22-	चम्पावत	806.00	85.00	721.00
23-	लोहाघाट	935.00	98.00	837.00
24-	झबरेड़ा	593.00	133.00	460.00
25-	लण्ढौरा	924.00	208.00	716.00
26-	लक्सर	1934.00	435.00	1499.00
27-	देवप्रयाग	735.00	165.00	570.00
	योग	**31779.00**	**6514.00**	**25265.00**

(रू0 दो करोड़ बावन लाख पैंसठ हजार मात्र)

(आर.सी. अग्रवाल)
अपर सचिव।